संविधान की अनुसूचियाँ

अनुसूची	सम्बंधित विषय	सम्बंधित अनुच्छेद
प्रथम अनुसूची (First Schedule)	• राज्यों के नाम एवं उनके राज्यक्षेत्र (Territories) • संघ राज्य क्षेत्रों (Union Territories) के नाम और उनकी सीमाएँ	अनुच्छेद 1 तथा 4

दूसरी अनुसूची (Second Schedule)	• निम्नलिखित पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान	अनुच्छेद 59 (3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148 (3), 158 (3), 164(5), 186, 221
	• भारत का राष्ट्रपति	
	• राज्यों के राज्यपाल	
	• लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष	
	• राज्यसभा के सभापति और उप सभापति	
	• राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष	
	• राज्य विधान परिषदों के सभापति और उप सभापति	
	• सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश	
	• उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	
	• भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक	

तीसरी अनुसूची (Third Schedule)	इसमें निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथों (Oaths) या प्रतिज्ञानों (Affirmations) के प्रारूप दिए गए हैं। ये पदाधिकारी हैं- ● संघ के मंत्री ● संसद के चुनावों के प्रत्याशी ● संसद के सदस्य ● सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ● भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ● राज्यों के मंत्री ● राज्य विधानमंडल के चुनावों के प्रत्याशी ● राज्य विधानमंडल के सदस्य ● उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश	अनुच्छेद 75 (4), 84, 99, 124(6), 148 (2), 164 (3), 173, 188 एवं 219

- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों की शपथ का जिक्र इस अनुसूची में नहीं।
- राष्ट्रपति (अनु.60) और राज्यपाल (अनु. 159) के तहतसंविधान और विधि के परिरक्षण (Preserve), संरक्षण (Protect) और प्रतिरक्षण (Defend) की शपथ लेते हैं।
- उपराष्ट्रपति (अनु.69) संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश [अनु. 124(6)] और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश [अनु. 219] विशेष रूप से ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करने एवं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाये रखने की शपथ लेते हैं।

चौथी अनुसूची (Fourth Schedule)

- राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों (Union Territories) के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। अनुच्छेद 4 (1) एवं 80 (2)
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन।
- वर्तमान में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश (31), महाराष्ट्र (19), तमिलनाडु (18), पश्चिम बंगाल (16), और बिहार (16) में राज्यसभा सीटें हैं।

पाँचवीं अनुसूची (Fifth Schedule)

- अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। अनुच्छेद 244 (1)
- अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपालों के लिए आवश्यक है कि प्रतिवर्ष या जब राष्ट्रपति चाहे उन्हें उन क्षेत्रों के बारे में रिपोर्ट सौंपे
- अनुसूचित जनजातियों के निवास क्षेत्रों में राष्ट्रपति के निर्देश से जनजातीय सलाहकार परिषद् का गठन अनिवार्य होगा
- राज्यपाल को परिषद् के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, पद्धति एवं संख्या को निर्धारित करने का अधिकार

छठी अनुसूची
(Sixth Schedule)

- असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अनुच्छेद 244(2) एवं 275 (1) जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध।

सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule)

अनुच्छेद 246

- संघ सूची (Union List) राज्य सूची (State List) तथा समवर्ती सूची (Concurrent list) में शामिल विषय।
- संविधान में इन सूचियों में क्रमशः 97, 66 तथा 47 विषय थे, परन्तु वर्तमान में संघ सूची में 100, राज्य सूची में 6 तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हैं।

आठवीं अनुसूची (Eighth Schedule)

- संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची। अनुच्छेद 344 (1) एवं 351
- वर्तमान में इस सूची में 22 भाषाएँ शामिल हैं, जबकि मूल संविधान में 14 भाषाएँ थी। जो निम्नलिखित हैं-
- असमिया, बांग्ला, बोडी, डोगरी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली सिंधी, तमिल तेलुगू तथा उर्दू।
- सिंधी भाषा 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी।
- कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 7वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा इस सूची में जोड़ी गई।
- बोडो, डोमरी, मैथिली व संथाली 92वें संविधान संशोधन अधिनियम (2003) द्वारा जोड़ी गई।

नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule)

अनुच्छेद 31 (ख)

- इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम (1951) द्वारा जोड़ा गया था इसका उद्देश्य यह था कि भूमि सुधारों तथा जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियमों, नियमों, विनियमों आदि को न्यायालय के पुनर्विलोकन (Judicial Review) की शक्ति से बाहर किया जा सके।
- इसमें वर्तमान में 282 प्रविष्टियाँ हैं जो कई संविधान संशोधनों द्वारा शामिल की गई हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव के मामले में यह स्पष्ट कर दिया है कि 4 अप्रैल, (1981) 1973 (केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तिथि) के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियमों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।

दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule)

- इसमें दल-बदल (Defection) के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरहंता से सम्बंधित उपबंध हैं। — अनुच्छेद 102 (2) एवं 191 (2)
- इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया था।
- 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन भी किया गया है। इसे दल- बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है।

ग्यारहवीं अनुसूची (Eleventh Schedule)

- इसमें पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था।

अनुच्छेद 243(छ) Art- 243 (G)

बारहवीं अनुसूची (Twelth Schedule)

- इसमें नगरपालिकाओं (Muncipalities) की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व बताई गई हैं। इस सूची में 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था।

अनुच्छेद 243(च) Art- 243 (W)

वरीयता

- व्यक्तियों की रैंक तथा वरीयता सूची के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा

1. राष्ट्रपति
2. उपराष्ट्रपति
3. प्रधानमंत्री
4. अपने अपने राज्यों में राज्यों के राज्यपाल
5. पूर्व राष्ट्रपति

5.क उप प्रधानमंत्री

6. भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोक सभा अध्यक्ष
7. संघ के कैबिनेट मंत्री एवं अपने-अपने राज्यों में राज्यों के मुख्यमंत्री
   - उपाध्यक्ष, नीति आयोग
   - पूर्व प्रधानमंत्री
   - राज्य सभा एवं लोक सभा में विपक्ष के नेता

7. क
- भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति

8.
- भारत में स्थित विदेश के असाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत एवं राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त तथा अपने-अपने राज्यों के बाहर राज्यों के मुख्यमंत्री
- अपने-अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपाल

9.
- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश

9.क
- अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग
- मुख्य चुनाव आयुक्त
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक

10.
- राज्य सभा के उपसभापति
- राज्यों के उप-मुख्यमंत्री
- लोक सभा के उपाध्यक्ष
- नीति आयोग के सदस्य
- संघ के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में रक्षा मामलों से सम्बन्धित कोई अन्य मंत्री

- राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित सारणी इस प्रकार है–

11. - भारत का महान्यायवादी
    - मंत्रिमंडल सचिव
    - अपने-अपने संघ राज्य क्षेत्रों में उप-राज्यपाल
12. - पूर्णतः जनरल रैंक के अथवा उनके समकक्ष रैंक वाले सेनाध्यक्ष
13. - भारत में प्रत्यायित विदेश के असाधारण दूत तथा पूर्णाधिकारी मंत्री
14. - अपने-अपने राज्यों में राज्य विधान-मंडलों के सभापति एवं अध्यक्ष
    - अपने-अपने क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश
15. - अपने-अपने राज्यों में राज्यों के कैबिनेट मंत्री

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन समनुदेशित करता है?

(a) वित्त आयोग

(b) राष्ट्रीय विकास परिषद

(c) अंतर्राज्य संबंध

(d) भारत का संविधान

2. निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है?

(a) अनुच्छेद 262 के अनुसार
(b) अनुच्छेद 263 के अनुसार
(c) अनुच्छेद 264 के अनुसार
(d) अनुच्छेद 265 के अनुसार

3. एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है–

(a) संसद द्वारा

(b) राष्ट्रपति द्वारा

(c) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा

(d) क्षेत्रीय परिषद द्वारा

4. भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं?

(a) राष्ट्रपति

(c) केंद्रीय मंत्रिमंडल

(b) राज्य

(d) संसद

5. अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है–

(a) संवैधानिक

(b) संसदीय कानून

(c) योजना आयोग की अनुशंसा

(d) मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृत संकल्प

6. केंद्र-राज्य संबंध किस अनुसूची में है?

(a) 7वीं

(c) 6वीं

(b) 8वीं

(d) 9वीं

7. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है–

(a) राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से।

(b) लोकसभा के विघटन से।

(c) संसद की प्रशासनिक शक्तियों से।

(d) राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से।

8. वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, उल्लिखित हैं-

(a) संघ सूची में

(b) राज्य सूची में

(c) समवर्ती सूची में

(d) अवशिष्ट सूची में

9. भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र-राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं?

(a) भाग X में

(c) भाग XII में

(b) भाग XI में

(d) भाग XIII में

10. क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है-

(a) संविधान द्वारा

(b) संसदीय कानून द्वारा

(c) सरकारी संकल्प द्वारा

(d) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा

11. निम्नांकित में से कौन-सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है?

(a) यह एक संवैधानिक संस्था है।

(b) पांच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत की गई है।

(c) यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है।

(d) यह एक परामर्शदात्री संस्था है।

12. सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए-

(a) राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की

(b) विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की

(c) कार्यपालिका और न्यायापालिका के मध्य संबंधों की

(d) संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की

13. निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था ?

(a) वी. शंकर

(b) के. हनुमन्तैय्या

(c) डॉ. एस. आर. सेन

(d) ओ. वी. अलगेसन

14. निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र-राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था?

(a) 1983

(c) 1985

(b) 1984

(d) 1987

(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक

15. सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है-

(a) राजस्व वितरण से

(b) राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से

(c) संसद की सदस्यता से

(d) केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से

16. भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है?

(a) अनुच्छेद 268

(c) अनुच्छेद 270

(b) अनुच्छेद 269

(d) अनुच्छेद 271

17. भारत में केंद्र-राज्य संबंध निर्भर करते हैं-

1. संवैधानिक प्रावधानों पर
2. परंपराओं तथा व्यवहारों पर
3. न्यायिक व्याख्याओं द्वारा
4. बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर

कूट:

(a) 1 और 2
(b) केवल 1, 2 और 3
(c) 2, 3 और 4
(d) सभी चारों